



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 852 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 22/09/2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00 (बेरीनाग- चकोड़ी - काण्डा- बागेश्वर - ताकुला) दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु 18.405 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रस्तावित मोटर मार्ग प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 423/12-1 दिनांक 01.09.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1511/12-1 (2) दिनांक 20.09.2023 द्वारा सूचित किया है। जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(पी०के० पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक

1511 / 12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक

20-9-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि०मी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022)

संदर्भ — अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 423/12-1 दिनांक 01.09.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 966/12-1(2) दिनांक 21.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र में प्रस्ताव के नाम के स्थान पर त्रुटिवश जनपद बागेश्वर अंकित कर दिया गया था जोकि बागेश्वर जनपद में न होकर अल्मोड़ा जनपद किया जाना था। चूंकि प्रस्ताव का एक भाग बागेश्वर के अन्तर्गत है व एक भाग अल्मोड़ा के अन्तर्गत है।

अतः स्पष्ट करना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या 151120/2022 प्रस्ताव जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत आता है व प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति दिनांक 30.06.2023 का निराकरण निम्नवत पुनः प्रेषित किया जा रहा है —

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	State Government is requested to replace the 6 Ha. VDF area with some other suitable area and provide suitability certificate regarding the suitability of planning 1000/ha. trees area with remaining MDF	As per objection the area 6.00 Ha. which was found VDF has been replaced in same range and related map's and suitability certificate attached herewith.
2	State Government is requested to submit the documentary evidence to prove that the road was constructed before 1980.	User agency replied that the project has been constructed prior to the implementation of forest Clearance Act, 1980. Road side land control act of 1970 is already attached. Existing road can be seen in Survey of India toposheet released prior to year 1980.

संलग्नक—उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।